

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त राजस्थान।

विषय: ग्राम स्वास्थ्य योजना वर्ष 2010-11 के क्रम में।

सन्दर्भ: निदेशालय के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 1301 दिनांक 15.12.10


उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों को नकद राशि का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने हेतु लिखा गया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा एनआरएचएम/आरसीएच-II पीआईपी वर्ष 2011-12 में ग्राम स्वास्थ्य योजना मद में राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण उक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों को केवल प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।

ग्राम स्वास्थ्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।


निदेशक (आरसीएच)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय, मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनआरएचएम), राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक (आईईसी / जन स्वास्थ्य / एड्स) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर।
8. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज. जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
11. समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान।
12. समस्त प्रधान, पंचायत समिति, राजस्थान।
13. वित्तीय सलाहकार (एनआरएचएम) मुख्यालय।
14. समस्त संयुक्त निदेशक, (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
15. समस्त अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) राजस्थान।
16. समस्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान।


निदेशक (आरसीएच)